क्रम-संख्या–229

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 2021

अग्रहायण 12, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

सहकारिता अनुभाग–1

संख्या 1427/49-1–2021-8(56)-13 टी0सी-बी
लखनऊ, 3 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

प०आ०–395

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966) की धारा 130 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (अठावनवाँ संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (अठावनवाँ संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 (जिसे आगे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है) में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 3, के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
3–किसी समिति के निबन्धन के लिये प्रार्थना पत्र उक्त प्रयोजन के लिये निबन्धक द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट प्रपत्र में दिया जायेगा। ऐसा प्रपत्र क में प्रार्थना पत्र देकर और 50 रू0 का शुल्क देने पर जिला सहायक निबन्धक से प्राप्त किया जायेगा।	3–किसी समिति के निबन्धन के लिये आवेदन उक्त प्रयोजन के लिए निबन्धक द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट प्रपत्र में किया जायेगा। ऐसा प्रपत्र ई–पेमेंट के माध्यम से दो हजार रूपये का संदाय करके ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकेगा।

नियम 6 एवं 7 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 6 एवं 7 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
6–निबन्धन के लिये सभी प्रकार से पूर्ण प्रार्थना पत्र निबन्धक को या तो प्राप्य अभिस्वीकृति रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जायेगा और पश्चातवर्ती दशा में प्रपत्र ख में निबन्धक से अभिस्वीकृति ली जायेगी।	6–नियम 3 के अनुसार निबन्धन के लिये सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा जिसकी रसीदी/पावती ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी।
7–निबन्धक, निबन्धन का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र के ब्यौरे को प्रपत्र ग में रजिस्टर में दर्ज करेगा या दर्ज करायेगा और प्रार्थना पत्र पर क्रम सं0 डाली जायेगी।	7–निबन्धन हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत किये गये आवदेन पर क्रमांक और आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक का उल्लेख आनलाईन किया जायेगा तत्पश्चात निबन्धक प्रपत्र 'ग' में रजिस्टर में आनलाईन प्रस्तुत किये ऐसे आवेदन का विवरण प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट करायेगा।

नियम 388 का संशोधन

4–उक्त नियमावली में, स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 388 के स्थान पर का स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
388–(क) किसी सहकारी समिति द्वारा कारोबार के प्रत्येक दिन के कार्य के लिये ऐसी दर पर जो उपनियम–(ख) में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न हो, दैनिक भत्ते की अनुज्ञा दी जा सकती है।	**388–(क)** किसी सहकारी समिति द्वारा प्रत्येक दिवस के कारबार के लिये दैनिक भत्ता उपनियम–(ख) में विनिर्दिष्ट दर से अनधिक दर पर अनुज्ञात किया जा सकता है।
(ख) उपनियम (क) के प्रयोजन के लिये दैनिक भत्ते की दर निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अधीन होगी:	**(ख)** उपनियम (क) के प्रयोजन के लिये दैनिक भत्ता की दर निम्नलिखित अधिकतम सीमाओं के अध्यधीन होगी:
(1) शीर्ष सहकारी समिति और ऐसी अन्य समिति की दशा में जिसे निबन्धक उसके वित्तीय तथा कारोबार की दशा को ध्यान में रख कर और कारणों को अधिलिखित करते हुये शीर्ष समिति के सममूल्य अधिसूचित करे, एक सौ पचास रूपये प्रतिदिन:	(एक) किसी शीर्ष सहकारी समिति और ऐसी अन्य समितियों की स्थिति में जैसाकि निबन्धक अपनी वित्तीय तथा कारबार की दशाओं को दृष्टिगत रखते हुये और अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी शीर्ष समिति के सममूल्य के अनुसार अधिसूचित करें, चार सौ पचास रूपये प्रतिदिन:

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
प्रतिबन्ध यह है कि किसी शीर्ष समिति की दशा में कारोबार के पूर्ववर्ती दिन और पश्चात्वर्ती दिन के लिये भी दैनिक भत्ता उक्त दर पर अनुमन्य होगाः अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि कारोबार का पूर्ववर्ती दिन या पश्चात्वर्ती दिन कारोबार का दिन नही होगा। (2) केन्द्रीय समिति की दशा में, पचहत्तर रूपया प्रतिदिन; (3) प्रारम्भिक कृषि सहकारी समिति की दशा में, तीस रूपया प्रतिदिन; (4) किसी अन्य सहकारी समिति की दशा में, साठ रूपया प्रतिदिन।	प्रतिबन्ध यह है कि किसी शीर्ष समिति की स्थिति में कारबार के पूर्ववर्ती और पश्चात्वर्ती दिवस के लिये भी दैनिक भत्ता उक्त दर पर अनुज्ञेय होगाः अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती कारबार दिवस कारबार दिवस नही होगा। (दो) केन्द्रीय सहकारी समिति की स्थिति में, दो सौ पच्चीस रूपये प्रतिदिन; (तीन) किसी कृषि प्रारम्भिक सहकारी समिति की स्थिति में, नब्बे रूपये प्रतिदिन; (चार) किसी अन्य सहकारी समिति की स्थिति में, एक सौ अस्सी रूपये प्रतिदिन।
(ग) यदि यात्रा भत्ता के प्रयोजनों के लिये समाप्ति को किसी श्रेणी के बारे में कोई संदेह हो तो निबन्धक की राय अन्तिम होगी।	**(ग)** यात्रा भत्ता के प्रयोजनों के लिये किसी श्रेणी की समिति के सम्बंध में कोई संदेह होने की स्थिति में निबंधक की राय अंतिम होगी।

5–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 438–क के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:– नियम 438–क का संशोधन

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
438 क–जहाँ नियम 434, 435 या 438 के अधीन कोई अन्तरिम प्रबंध कमेटी नियुक्त की जाये, वहॉ उस अन्तरिम प्रबंध कमेटी का यह उत्तरदायित्व होगा कि अपनी नियुक्ति के छः माह के भीतर निर्वाचित प्रबंध कमेटी का पुनर्गठन की व्यवस्था करे, और ऐसी निर्वाचित प्रबंध कमेटी, अपने गठन पर तत्काल अन्तरिम प्रबंध कमेटी का स्थान लेगी।	438 क–जहाँ नियम 434, 435 या 438 के अधीन कोई अन्तरिम प्रबंध कमेटी नियुक्त की जाये, वहाँ ऐसी अन्तरिम प्रबंध कमेटी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपनी नियुक्ति के छः माह के भीतर किसी निर्वाचित प्रबंध कमेटी के पुनर्गठन की व्यवस्था करे, और ऐसी निर्वाचित प्रबंध कमेटी, अपने गठन पर तत्काल अन्तरिम प्रबंध कमेटी का स्थान लेगी, परन्तु यह कि असाधारण परिस्थितियों के कारण यदि प्रबंध कमेटी के सदस्य निर्वाचित नहीं किये जाते हैं या उनका निर्वाचन आयोजित नहीं किया जाता है तो सहकारी समिति के प्रबंधन के अनुसार निबन्धक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी कमेटी में अनधिक छः मास की अवधि तक के लिये एक नई अंतरिम प्रबंध कमेटी नियुक्त करे।

आज्ञा से,
बी0 एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1427/XLIX-1–2021-8(56)-13 T.C.-B, dated December 3, 2021:

No. 1427/XLIX-1–2021-8(56)-13 T.C.-B

Dated Lucknow, December 3, 2021

IN exercise of the powers under section 130 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 (U.P. Act no. 11 of 1966) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Rules, 1968.

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (FIFTY EIGHTH AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Fifty Eighth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 3

2. In the Uttar Pradesh Co-operative Societies Rules, 1968 (hereinafter referred to as the "said rules"), *for* rule 3 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I *Existing rule*	COLUMN-II *Rule as hereby substituted*
3. An application for registration of a society shall be made in the form specified from time to time by the Registrar for the purpose. Such form shall be obtainable on payment of a fee of rupees fifty from the District Assistant Registrar on application in Form 'A'.	3. An application for registration of a society shall be made in the form specified from time to time by the Registrar for the purpose. Such form shall be obtainable online on payment of rupees two thousand through medium of e-payment.

Amendment of rules 6 and 7

3. In the said rules, *for* rules 6 and 7 set out in Column-I below, the rules as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I *Existing rule*	COLUMN-II *Rule as hereby substituted*
6. An application for registration complete in all respects shall be submitted to the Registrar either by registered A.D. post or personally and in the latter case acknowledgement in Form 'B' shall be obtained from the Registrar.	6. An application for registration as per rule 3 complete in all respects shall be submitted online receipt/ acknowledgement of which shall be obtainable online.
7. The Registrar shall, on receipt of the registration application, enter or cause to be entered particulars of the application in the register—in Form 'C', and a serial number will be given to the application.	7. Serial Number and date of receipt of application shall be mentioned online, on the application for registration submitted online. Thereafter, the Registrar shall enter or cause to be entered particulars of such application submitted online in the register —in Form 'C'.

Amendment of rule 388

4. In the said rules, *for* rule 388 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I *Existing rule*	COLUMN-II *Rule as hereby substituted*
388. (a) Daily allowance may be allowed by a co-operative society for each day of business at a rate not exceeding the rate specified in sub-rule (b).	388. (a) Daily allowance may be allowed by a co-operative society for each day of business at a rate not exceeding the rate specified in sub-rule (b).
(b) The rate of daily allowance for the purpose of sub-rule (a) shall be subject to the following maximum limits:-	(b) The rate of daily allowance for the purpose of sub-rule (a) shall be subject to the following maximum limits:-
(i) in the case of an apex co-operative society, and such other societies, as the Registrar may, in view of its financial and business conditions and for reasons to be recorded, notify as at par with an apex society rupees one hundred fifty per day:	(i) in the case of an apex co-operative society, and such other societies as the Registrar may in view of its financial and business conditions and for reasons to be recorded notify as at par with an apex society, rupees four hundred fifty per day:
Provided that in case of an apex society the daily allowance for a day preceding and following the day of business shall also be admissible at the said rate:	Provided that in case of an apex society the daily allowance for a day preceding and following the day of business shall also be admissible at the said rate:
Provided further that the preceding or following the day of business shall not be the day of business;	Provided further that the preceding or following the day of business shall not be the day of business;
(ii) in the case of central co-operative society, rupees seventy five per day;	(ii) in the case of central co-operative society, rupees two hundred and twenty five per day;
(iii) in the case of an agricultural primary co-operative society, rupees thirty per day;	(iii) in the case of an agricultural primary co-operative society, rupees ninety per day;
(iv) in case of any other co-operative society, rupees sixty per day.	(iv) in the case of any other co-operative society, rupees one hundred and eighty per day.
(c) In case of any doubt about any category of society for purposes of travelling allowance the opinion of the Registrar shall be final.	(c) In case of any doubt about any category of society for the purposes of travelling allowance, the opinion of the Registrar shall be final.

Amendment of rule 438 A

5. In the said rules, *for* rule 438-A set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I *Existing rule*	COLUMN-II *Rule as hereby substituted*
438-A. Where an interim Committee of management is appointed under Rules 434, 435 or 438, it shall be the responsibility of such interim Committee of Management to arrange for reconstitution of an elected Committee of	438-A. Where an interim Committee of management is appointed under rules 434, 435 or 438, it shall be the responsibility of such interim Committee of Management to arrange for reconstitution of an elected Committee of

COLUMN-I *Existing rule*	COLUMN-II *Rule as hereby substituted*
Management within six months of its appointment and such elected Committee of Management shall, immediately on its constitution, replace the interim Committee of Management.	Management within six months of its appointment and such elected Committee of Management shall, immediately on its constitution, replace the interim Committee of Management: Provided that due to extraordinary circumstances, if the members of the Committee of Management are not elected or their election is not conducted then, in accordance with the management of Cooperative Society, it shall be the duty of the Registrar to appoint a new interim Committee of Management in such Society for a period of not more than six months.

By order,
B. L. MEENA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 445 राजपत्र–2021–(997)–599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सा0 सहकारिता–2021–(998)–100 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

445 RPH (Sahkarita-1) 2021 Data 4e